समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. निगरानी– / ।।/2017 बिदिशा

जफर खॉ आ0 भैयन खॉ
निवासी कुलुआखेडा तहसील सिरोंज
जिला बिदिशा म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

नजमा पुत्री अजीज खॉ पत्नी बाबू खॉ
निवासी नारायण पुरचक तहसील अशोक नगर
जिला गुना म0प्र0 ....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक कि ओर से विद्वान आयुक्त महोदय भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनकें प्रकरण क्र. 124/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07/03/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कुलुआखेडा तहसील सिरोंज जिला बिदिशा स्थित भूमि सर्वे क0 176 रकवा 1.480 हे0 एवं सर्वे क0 177 रकवा 2.225 हेक्टयर भूमि में से अनावेदक का हिस्सा 0.916 हेक्टयर था । अनावेदक ने अपने हिस्से की उक्त भूमि आवेदक के पक्ष में हिबा करते हुए कब्जा आवेदक को सौंप दिया था । आवेदक ने उसके पक्ष में किये गये हिबा के आधार पर अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को सूचना पत्र भेजा गया । सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनावेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने कथन अकिंत कराते हुए आवेदक के पक्ष में नामान्तरण किये जाने कि सहमति दी गयी । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 22/08/2014 के द्वारा उक्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण करने के आदेश दिये । परन्तु अनावेदक ने नामान्तरण कि कार्यवाही किये जाने के दुर्भावनावश तहसील न्यायालय द्वारा कि गयी नामान्तरण कि कार्यवाही के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये विना ही अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा कि गयी नामान्तरण कि कार्यवाही को निरस्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू0रा0/2017/2711 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता एवं अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सुना गया। अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा नियमों का पालन किये बिना सूचना की तामील को अनदेखा किया है एवं विधिक प्रकियाओं का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है। उक्त आधार पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। परिणामतः ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	